"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च 2006—चैत्र 7, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2006

क्रमांक-5084/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2006), जो दिनांक 28 मार्च, 2006 को पुर: स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006

(क्रमांक 6 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (एक) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है,

(दो) यह दिनांक 1 अप्रेल 2006 से प्रवृत होगा।

धारा 2, 3, 3–क, 6, 13 एवं 14 का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (कमांक 52 सन् 1976) (जो इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2, 3, 3–क, 6, 13 एवं 14 में, जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम" अथवा "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994(क. 5 सन 1995)" आये हों, के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2005(क. 2 सन् 2005)" प्रतिस्थापित किये जाएं।

धारा 2(1)(ग) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड(ग) में शब्दों एवं अंकों "भोपाल स्टेट टाऊन कमेट एक्ट, 1954 (कमांक 25 सन् 1954)" को विलोपित किया जाए।

धारा 13 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में, अंकों एवं शब्दों "3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45–क, 45–ख, 45–ग, 45–गग, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 एवं 80" के स्थान पर अंकों एवं शब्द "3, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एवं 71" को प्रतिस्थापित किया जाए।

अनुसूची–दो का संशोधन

5. मूल अधिनियम की अनुसूची–दो में अनुकमांक 22 (ख) के सामने कॉलम (3) में अंक "1" के स्थान पर अंक "10" प्रतिस्थापित किया जाए।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा दिनांक 25.02.2006 को वर्ष 2006—07 के लिये प्रस्तुत बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 01.04.2006 से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के स्थान पर "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2005(क. 2 सन् 2005)" लागू होगा तथा पान मसाला पर प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत को बढ़ाकर 10 प्रतिशत प्रस्तावित की गई है।

अतः उपरोक्त बजट प्रस्ताव के कियान्वयन हेतु "छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976(क.52 सन् 1976) की धाराओं में प्रयुक्त "वाणिज्यिक कर अधिनियम" एवं उसकी धाराओं के स्थान पर "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2005(क. 2 सन् 2005)"एवं उसकी धाराओं का प्रतिस्थापन आवश्यक है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत करने का विनिश्चय किया गया है।

2. अतः विधेयक प्रस्तुत है ।

अमर अग्रवाल

वाणिज्यिक कर मंत्री

(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,

दिनांक 21/03/2006

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (कमांक 52 सन् 1976) की धारा 2, 3, 3—क, 6, 13 एवं 14 के वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार हैः—

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 परिभाषाएँ

(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः—

(क) (A) लुप्त [म.प्र. अधिनियम कमांक 24 सन् 1982 द्वारा]

(कक) 'किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश' से, उसके समस्त व्याकरणिक तथा सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है उस स्थानीय क्षेत्र में उससे बाहर के किसी भी स्थान से जिसके कि अन्तर्गत राज्य से बाहर का कोई स्थान आता है उसमें (स्थानीय क्षेत्र में) उपभोग, उपयोग या विकय के लिए माल का प्रवेश

(ख) (B) 'प्रवेश कर' से अभिप्रेत है किसी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विकय के लिए माल के प्रवेश पर कर जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उद्‌गृहीत किया गया हो तथा देय हो [और उसके अंतर्गत वह प्रशमन धन आता है जो कि धारा 7—क के अधीन देय है]

(ग) (C) 'स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि' से अभिप्रेत है यथास्थिति [छावनी अधिनियम] 1924 (कमांक 2 सन् 1954) भोपाल स्टेट टाऊन कमेटी एक्ट, 1954 (कमांक 25 सन् 1954) छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1956, (कमांक 23 सन् 1956), छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1961 (क. 37 सन् 1961), छत्तीसगढ़ पंचायत एक्ट, 1962 (कमांक 7 सन् 1962) या छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्रामनिवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973)

(घ) (D) स्थानीय क्षेत्र से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हो,

(ङ) (E) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा प्राधिकारी जो स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित किसी विधि के अधीन गठित किया गया हो, किन्तु उसके अन्तर्गत कोई जनपद पंचायत, कोई जिला पंचायत, कोई मण्डल पंचायत या कोई अन्य ऐसा स्थानीय प्राधिकारी जिसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, नहीं आता,

(च) (F) "स्थानीय माल" से, किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है स्थानीय उत्पत्ति का ऐसा माल जो उस माल से सुभिन्न हो जिसका कि उस क्षेत्र में प्रवेश होता हो,

(छ) (G) "वाणिज्यिक कर अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (कमांक 5 सन् 1995),

(छछ) (GG) "रजिस्ट्रीकृत व्यापारी" से अभिप्रेत है वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी।

(ज) (H) अनुसूची–2 या अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट किए गये माल के संबंध में "कर योग्य बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है उसका वह बाजार मूल्य, जो उस माल के, जिसको कि धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) लागू होते हैं, बाजार मूल्य को अपवर्जित करके आता है,

(झ) (I) अनुसूची–2 या अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट किए गये माल के संबंध में "कर योग्य क्रय मूल्य" से अभिप्रेत है उसका वह क्रय मूल्य, जो उस माल के, जिसको कि धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) लागू होते हैं, क्रय मूल्य को अपवर्जित करके आता है,

(ञ) (J) किसी व्यापारी के संबंध में 'कर योग्य मात्रा' से अभिप्रेत है कर योग्य क्रय मूल्य तथा कर योग्य बाजार मूल्य का योग,

(ट) (K) म.प्र. अधिनियम संख्या 22 सन् 1977 द्वारा 1.5.77 से लुप्त।

(ठ) (L) किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में या किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसनें कि किसी स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश किया हो 'माल का मूल्य' से अभिप्रेत होगा ऐसे माल का क्रय मूल्य जैसा कि वह विक्रय कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ओ) में परिभाषित किया गया है तथा माल के मूल्य में [उत्पाद शुल्क और या अतिरिक्त उत्पाद–शुल्क और या सीमा शुल्क उस दशा में सम्मिलित होगा जबकि वह यथास्थिति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (क्रमांक 1 वर्ष 1944) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क [विशेष महत्व का माल अधिनियम 1957 (क्रमांक 58 वर्ष 1957) या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का संख्या 52) के अधीन उद्गृहीत किया गया हो] या यदि ऐसा माल क्रय के द्वारा अर्जित या अभिप्राप्त न किया जाकर, अन्यथा अर्जित या अभिप्राप्त किया गया हो।

(ड) (M) 'संकर्म संविदाओं' से अभिप्रेत है भवनों, बाँधों और पूलों तथा अन्य स्थावर सम्पत्ति के सन्निर्माण, कारखानों के परिनिर्माण, मशीनरी तथा अन्वायुक्तियों (फिटिंग्ज) के प्रतिष्ठान और जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति में किये जाने वाले प्रतिष्ठानों जैसे संकर्मों के जिनके कि निष्पादन में माल उपभुक्त किया जाता हो या उपयोग में लाया जाता हो, किन्तु बेचा न जाता हो सन्निर्माण से संबंधित संविदाएँ।

(2) अभिव्यक्ति "माल तथा "विक्रय से भिन्न उन व्यक्तियों के जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हों, किन्तु परिभाषित न की गई हों और जो वाणिज्यिक कर अधिनियम में परिभाषित की गई हों, वही अर्थ होंगे जो कि उसके लिए उस अधिनियम में दिए गये हैं।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त "माल का प्रवेश किया हो" उसके व्याकरणिक भेदों तथा सजातीय पदों सहित, चाहे वह अकेले या किन्हीं अन्य शब्दों के साथ–साथ प्रयोग में लाई गई हो, के प्रति निर्देश का जब भी आवश्यक हो, यह अर्थ लगाया जायगा कि उसमें "कर का प्रवेश कराया हो" के प्रति निर्देश भी सम्मिलित हैं।

* *

धारा 3
कर का भार

(1) प्रवेश कर–

(क) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किए गये माल के, प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए किसी व्यापारी के कारोबार के अनुक्रम में हुए प्रवेश पर और–

(ख) अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट किए गये माल के प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिए न कि उसके विक्रय के लिए, किसी व्यापारी के कारबार के अनुक्रम में हुए प्रवेश पर, उद्गृहीत किया जाएगा तथा ऐसे कर का भुगतान वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी प्रत्येक ऐसे व्यापारी द्वारा किया जाएगा जिसने कि ऐसे माल का प्रयोग कराया है:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कर–

(एक) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किए गये ऐसे स्थानीय माल से भिन्न है जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा प्रवेश कर देय है या उसका भुगतान किया जाता है,

(दो) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जो स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश के पश्चात् राज्य के बाहर या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में बेचे जाते है,

(तीन) अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के संबंध में, जिसका उपभोग या उपयोग के लिए राज्य के बाहर से आयात किया जाता है, किन्तु जिसका व्ययन अन्य किसी रीति में किया गया है,

(चार) उस माल के संबंध में, जो धारा 10 के अधीन प्रवेश–कर से छूट प्राप्त है,

उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और यदि अनुसूची–2 या अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे माल के, जिसका किसी भी कालावधि के दौरान प्रवेश कराया गया है, प्रवेश पर कर का निक्षेप किसी व्यापारी द्वारा सरकारी कोषालय मे कर दिया गया है तथा ऐसे प्रवेश के पश्चात् उस माल का व्ययन इस परन्तुक के खण्ड (दो) में वर्णित की गई रीति में कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यापारी ऐसे माल के संबंध में उसके द्वारा पहले ही भुगतान किए गये कर की मुजराई पाने का हकदार होगा और ऐसे मुजराई का समायोजन ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, उस कर के मुद्दे किया जाएगा जो कि उसके द्वारा देय है,

परन्तु यह और भी कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यापारी, अपने कारबार के अनुक्रम में, किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी ऐसे व्यापारी से माल का क्रय करता है जिसने कि ऐसे क्रय के पूर्व उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल का प्रवेश कराया है, वहाँ प्रवेश–कर उस व्यापारी द्वारा चुकाया जाएगा जिसने कि ऐसे माल का क्रय किया है,

परन्तु यह भी कि इस अधिनियम में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यापारी किसी स्थानीय क्षेत्र में अपने कारबार के अनुक्रम में, उसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अन्य व्यापारी से अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल का, जो उस माल से भिन्न है, जो कि ऐसे स्थानयी क्षेत्र के संबंध में स्थानीय माल है, कय इस हेतु से करता है कि वह उसका उपभोग करे या उपयोग में लाए, वहाँ ऐसे माल के प्रवेश के संबंध में यह समझा जाएगा कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उस माल का प्रवेश उस व्यापारी द्वारा किया गया है, जिसने ऐसे माल का कय पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए किया है और प्रवेश–कर ऐसे व्यापारी द्वारा चुकाया जाएगा,

परन्तु यह और भी कि संवेष्टन सामग्री के संबंध में, "विकय" से अभिप्रेत होगा संवेष्टन सामग्री का सी रूप में विकय तथा उस विकय में उस संवेष्ठित सामग्री का विकय उस दशा में सम्मिलित नहीं होगा जबकि वह उसमें संवेष्ठित या अंतर्विष्ट माल के साथ–साथ किया जाए।

(2) (क) किसी स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें उपभोग, उपयोग या विकय के लिए–

(एक) "मोटर यानों से भिन्न ऐसे माल जिस पर उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन प्रवेश कर उद्गृहीत नहीं किया जाता है जो अनुसूची–2 या अनुसूची– 3 में विनिर्दिष्ट है, और"

(दो) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्त्यिों के ऐसे वर्ग द्वारा जैसा कि दोनो में से प्रत्येक दशा में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवेश पर प्रवेश–कर उद्गृहीत किया जाएगा और तदुपरि ऐसा कर ऐसे व्यक्ति या व्यक्त्यिों के ऐसे वर्ग द्वारा चुकाया जाएगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के प्रवेश पर प्रवेश–कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि ऐसा माल पहले ही प्रवेश–कर के अध्यधीन हो चुका है या यह कि इस अधिनियम के अधीन प्रवेश–कर किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी द्वारा चुकाए जाने योग्य है।

(ख) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना की प्रति विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।

(3) उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के अधीन उद्गृहीत किए गये प्रवेश कर का भुगतान ऐसे माल के मूल्य पर किया जाएगा।

(4) अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट किए गये माल पर कोई प्रवेश–कर देय नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची–1 को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि जिससे उसमें कोई भी ऐसा माल सम्मिलित हो जाए जो उसमें पहले से विनिर्दिष्ट न हो और उसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा अनुसूची–1 में इस प्रकार सम्मिलित किए गये माल उनमें से अपवर्जित हो जाएँ और तदुपरि यथास्थिति अनुसूची–2 या अनुसूची–3 तद्नुसार संशोधित हो जाएगी।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा 3–क मोटरयानों पर प्रवेश कर– (1) किसी स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए–

(एक) ऐसे मोटरयान के, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए दायी है, और

(दो) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कर का भुगतान करने का दायी नहीं है,

बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के प्रवेश पर, प्रवेश कर उद्‌गृहीत किया जाएगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कर उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा, यदि वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन मोटरयान किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किया गया है,

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई कर ऐसे मोटरयान के संबंध में उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा जो कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 12 मास या उससे अधिक की कालावधि के लिए उस तारीख के पूर्व रजिस्ट्रीकृत या जिसको कि उसे इस अधिनियम के अधीन राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

(2) स्थानीय क्षेत्र में मोटरयान के प्रवेश से या मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकृत के लिए आवेदन किया जाने की तारीख से पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, से 15 दिन के भीतर ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, कर देय होगा।

(3) इस धारा के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी रीति में, ऐसी तारीखों तक तथा ऐसे प्राधिकारी को, जैसा कि विहित किया जाए, एक विवरणी, प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिससे विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, विवरणी के अनुसार देय कर की पूरी रकम का भुगतान करेगा तथा विवरणी के साथ भुगतान किए जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिससे विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, किसी कालावधि के लिए विहित रीति में विवरणी के अनुसार देय कर की राशि का भुगतान करने में बिना किसी पर्याप्त कारण के असफल रहता है या विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात् प्रत्येक माल या उसके किसी भाग के लिए ऐसे कर की रकम के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि, कर की रकम के अतिरिक्त ब्याज के तौर पर भुगतान करने का दायी होगा।

(5) इस धारा के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी किसी भी व्यक्ति से शोध्य कर की रकम का निर्धारण ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

(6) कर–निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वहीं शक्तियॉं होगी जो कि किसी व्यापार के संबंध में उन प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य हैं और किसी व्यापारी के कर–निर्धारण, अपील तथा पुनरीक्षण से संबंधित उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत् जिसे कि यह धारा लागू होती है, लागू होंगे।

(7) (क) यदि कर का भुगतान करने के लिए दायी कोई व्यक्ति अधिकथित रीति में कर का भुगतान करने में असफल रहता है तब नामनिर्दिष्ट अधिकारी, बाकी बचे भुगतान नहीं किए गये कर के संबंध में तत्काल यान को परिवद्ध करेगा तथा यान को तब तक परिवद्ध रखेगा जब तक कि कर की रकम तथा शोध्य शास्ति को पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया जाता है,

(ख) यदि कर की रकम तथा शास्ति का यान के परिवद्ध रहने के एक मास के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो नामनिर्दिष्ट अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह विहित रीति में, नीलाम द्वारा यान को विक्रय करे और विक्रय आगम का उपयोजन कर, ब्याज तथा उस पर उपगत किए गये व्यय की वसूली के लिए करे। अवशेष, यदि कोई हों तो व्यक्ति को वापस किए जाएंगे,

(ग) यान नीलाम होने के पूर्व किसी भी समय यदि व्यक्ति, कर, ब्याज तथा उपगत व्यय, यदि कोई हों, का भुगतान कर देता है तो नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि व्यक्ति द्वारा समस्त शोध्यों का भुगतान पूर्णतः कर दिया गया है तो वह नीलाम की कार्यवाहियॉं रद्द कर सकेगा तथा व्यक्ति को यान लौटा सकेगा।

(8) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसी संख्या में नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के रूप में जैसा कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो पदाभिहित कर सकेगी और उनमें से प्रत्येक को ऐसे स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों या स्थानीय क्षेत्रों में के किसी भाग को जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, समनुदेशित कर सकेगी।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा–6 व्यापारी या व्यक्ति पर प्रवेश कर के उद्‌गृहण को शासित करने वाले सिद्धान्त

धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा [या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किये गये किसी व्यक्ति द्वारा] देय प्रवेश कर नीचे कथित किए गये सिद्धान्तों के अनुसार उद्‌गृहीत किया जाएगा:–

(क) प्रवेश कर तब तक देय नहीं होगा जब तक कि [उस व्यापारी ने या ऐसे व्यक्ति] ने [अनुसूची 2 में या 3 में] विनिर्दिष्ट किये गये माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में न किया हो,

(ख) जहां [उस व्यापरी ने या ऐसे व्यक्ति] ने किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी माल का उपभोग, उपयोग या विक्रय किया जो जहां जब तक कि उसके द्वारा तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह उपधारित किया जायगा, कि उस स्थानीय क्षेत्र में, उसमें उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए ऐसे माल का प्रवेश हुआ था,

(ग) जब कोई व्यापारी [अनुसूची 2 या अनुसूची 3] में विनिर्दिष्ट किये गये माल का किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति से या किसी ऐसे व्यापारी से, जो कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी न हो, क्रय करे तो, जब तक कि उसके द्वारा तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायगी कि ऐसे व्यापारी द्वारा ऐसे माल का क्रय किया जाने के पूर्व ही उस माल का ऐसे स्थानीय क्षेत्र में उसके द्वारा प्रवेश किया जा चुका था,

(घ) [म.प्र. अधिनियम क्रमांक 22 सन् 1977 द्वारा दिनांक 1–5–77 से लुप्त।]

(ड) समस्त अभिलेख, दस्तावेजों, लेखा पुस्तकें, जानकारी तथा कोई अन्य सामग्री जिन्हें कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष वाणिज्यि कर अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी पर कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पेश किया गया हो या जिन्हें उसके द्वारा उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया हो यावत्शक्य तथा उस सीमा तक जहां तक कि वे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुसंगत हों, इस अधिनियम के अधीन उस व्यापारी पर प्रवेश–कर के उद्ग्रहण के लिए आधार बन सकेगी/सकेंगे:

परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसी अतिरिक्त जानकारी जैसा कि वह आवश्यक समझे मॉग सकेगा या उपयोग कर सकेगा।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा–13 वाणिज्यिक कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना

इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाएं गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 3, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45–क, 45–ख, 45–ग, 45–गग, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77 तथा 80 और उनके अधीन बनाए गये नियम और जारी किए गये आदेश तथा अधिसूचनाएँ, यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी या व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत तथा देय प्रवेश कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होगी, मानो कि ये धाराएँ, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम में समाविष्ट कर दी गई हैं और मानो कि उन धाराओं के अधीन बनाए गये नियम या जारी किए गये आदेश तथा अधिसूचनाएँ, यथावश्यक परिवर्तन सहित उन सुसंगत धाराओं के अधीन बनायी गयी या जारी की गई थी जो इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट की गई हैं।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

धारा–14 प्रवेश कर का निर्धारण, संग्रहण आदि

इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम का प्रशासन जहां तक कि वह व्यापारियों पर प्रवेश कर के उद्ग्रहण निर्धारण, तथा उनसे प्रवेश कर के संग्रहण से संबंधित हैं, वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 3 में विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारियों में निहित होगा और तद्नुसार वे प्राधिकारी, जो वाणिज्यिक कर अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, पुनर्निधारण, संग्रहण करने तथा उसके भुगतान को प्रवर्तित कराने के लिए तत्समय सशक्त हों, उस प्रवेश कर तथा शास्ति का, जो व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय हो, निर्धारण, पुनर्निर्धारण संग्रहण इस प्रकार करेंगे तथा उसके भुगतान को इस प्रकार प्रवर्तित करायेंगे मानो कि ऐसे व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन या वाणिज्यिक कर अधिनियम के उन उपबन्धों के, जो कि धारा 13 के अधीन व्यापारियों को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर के संबंध में लागू किये गये हैं, अधीन देयकर या शास्ति उस अधिनियम के अधीन देय कर या शास्ति है और इस प्रयोजन के लिए वे उन समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे जो कि उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई है।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

अनुसूची–दो
(धारा 4, 9 एवं 12 देखियें)

अनुकमांक	वस्तु का विवरण	कर की दर (%)
(1)	(2)	(3)
22.	(क) तम्बाकू–निर्मित पान मसाला जिन पर सेन्ट्रल एक्साईज एक्ट, 1895 (कमांक 5 सन् 1986) के अधीन अतिरिक्त शुल्क उद्गृहीत किया जाता है या उद्गृहणीय है।	20
	(ख) पान मसाला जो उप–प्रविष्टि (क) में सम्मिलित नहीं है।	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.